

## क्या मानसिक रूप से मंद वयस्क को नाबालकि माना जा सकता है?

### संदर्भ

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि "मानसिक रूप से मंद" (mentally retarded) वयस्क को बालक नहीं माना जा सकता है तथा उसे बाल यौन अपराध संरक्षण अधनियम, 2012 (Prevention of Children from Sexual Offences Act, 2012) के तहत सुरक्षा नहीं दी जा सकती है।

### प्रमुख बांदि

- यह बात उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे केस की सुनवाई के दौरान कही जसिमें एक यौन पीड़िता जसिकी जैवकि आयु 38 वर्ष है परन्तु उसके मानसिक रूप से कमज़ोर होने के कारण मेडिकल रपोर्ट में उसकी मानसिक आयु को छह वर्ष के बालक के बराबर बताया गया है।
- इस केस में पीड़िता की माँ ने सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई है कि पोस्को कानून की धारा (2) में 'बालक' (child) की जो परभाषा दी गई है, न्यायालय उसमें सुधार करे अथवा वसितृत करे, ताकि "मानसिक रूप से मंद या बौद्धकि रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण" वयस्कों को भी उसमें शामिल किया जा सके। तभी इस अधनियम का उद्देश्य पूरा होगा।
- पीड़िता की माँ ने अपनी याचिका में कहा है कि पोस्को कानून के तहत न्याय पाने के लिये जैवकि आयु को ही केवल पैमाना या मानक नहीं माना जाना चाहिये। यदि कोई वयस्क है, परन्तु अपनी मानसिक कमज़ोरी के कारण यह समझ पाने में असमर्थ हो कि उसके साथ क्या हो रहा है तो वह भी एक बालक के बराबर ही है।

### विधायिका की भूमिका अदा नहीं की जा सकती

- इस केस में फैसला देते समय सर्वोच्च न्यायालय के दोनों जजों, जस्टिस दीपक मशिरा और जस्टिस रोहिट फली नरीमन की पीठ ने अपने अलग-अलग निरिण्य में सहमतवियक्त की कि वे विधायिका की भूमिका अदा नहीं कर सकते हैं।
- उन्होंने कहा कि जिज केवल कानून की व्याख्या कर सकते हैं, कानून बना नहीं सकते। कानून बनाने का अधिकार उनके पास नहीं, बल्कि विधायिका के पास है।
- न्यायालय केवल यह देख सकता है कि कानून कैसा बनाया गया है, परन्तु कानून कैसा होना चाहिये, यह तय करने का अधिकार न्यायपालिका के पास नहीं है।

### जैवकि आयु एवं मानसिक आयु में अंतर

- जैवकि आयु मनुष्य की वास्तविक आयु को कहते हैं। यह मनुष्य के जन्म के साथ-साथ बढ़ती चली जाती है। इसे कसी प्रकार से घटाया या घटा हुआ नहीं माना जा सकता है, जबकि मानसिक आयु का संबंध व्यक्ति की मानसिक परिपक्वता से है एवं इसे उसकी परिपक्वता के अनुसार चकितिसा विशेषज्ञों द्वारा तय किया जा सकता है।

### क्या है बाल यौन अपराध संरक्षण अधनियम, 2012

- इस अधनियम के अनुसार "बालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जसिकी आयु अठारह वर्ष से कम है।
- इसका वसितार जम्मू-कश्मीर राज्य के सविय सम्पूर्ण भारत पर है।
- यह अधनियम 14 नवंबर, 2012 से लागू है।
- यह अधनियम अठारह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कसी भी तरह के यौन अपराधों से सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करता है।
- इसके तहत कसी पुलसि अधिकारी, लोक सेवक, रमिंड गृह, संरक्षण या प्रेक्षण गृह, जेल, अस्पताल या शैक्षिक संस्था में स्टाफ के कसी सदस्य द्वारा कसी बच्चे के साथ यौन दुराचार किये जाने को गंभीर अपराध माना गया है।
- यह अधनियम "मानसिक वकिलांगता" की घटना को तो पहचानता है, लेकिन अपने दायरे को केवल नाबालगों की मानसिक वकिलांगता तक ही सीमित करता है।

